



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

13 MAGH, 1943 (S)

No. 31

RANCHI, WEDNESDAY, 2nd FEBRUARY, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

2nd February, 2022

Notification No.- 17/2021 – State Tax(Rate)

S.O. No. 84, Dated. 02nd February, 2022-- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 47, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the notification,-

(i) in clause (i), for the words “and motor cycle;”, the words “, motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;” shall be substituted;

(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”

2. In the said notification, in Explanation, -

(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures, “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).” shall be substituted;

(ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”

3. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,

Secretary,

Commercial taxes Department

Note:-The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide notification No. 17/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, vide S.O. No. 47, dated the 29th June, 2017 and last amended by notification No. 23/2017 - State Tax (Rate), dated the 26th August, 2017 vide S.O. No. 73, dated the 26th August, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 17/2021- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 84, दिनांक 2 फरवरी, 2022 --झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 47, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-

(i) उपवाक्य (i) में, शब्दों “और मोटर साइकिल” के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक “, मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा “रेस्तरां सेवा” की आपूर्ति ।”

2. स्पष्टीकरण में,-

(1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “मोटर साइकिल,” “मोटरयान” और “ओमनिबस” का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) “विशिष्ट परिसर” से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे ‘होटल की व्यवस्था’ की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।

3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 47, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अगस्त, 2017, एस. ओ. सं. 73, दिनांक 26 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था ।
